न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III मधेपुरा।

**A.B.P. No.-605/2026**

Murliganj Case No.-80/2024

उपस्थित :– धीरेन्द्र कुमार राय
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
मधेपुरा।

1. **अभिमन्नु कुमार उर्फ मन्नु कुमार उम्र करीब 35 वर्ष पे0–रामचन्द्र पासवान**
साकिन–सखुवा, वार्ड नं0–1, थाना–मुरलीगंज, जिला–मधेपुरा।

.....आवेदक।

**बनाम्**

बिहार सरकार .....प्रतिपक्षी।

**आदेश की तिथि 13 जुलाई, 2026**

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त अभिमन्नु कुमार उर्फ मन्नु कुमार पे0 रामचन्द्र पासवान के द्वारा मुरलीगंज थाना कांड संख्या–80/2024 अन्तर्गत धाराऐं–341, 323, 307, 379, 504, 506/34 भा0द0वि0 के अधिनियम में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किये जाने की संभावना से बचने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक को दी जा चुकी है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता राजेश नंदन के द्वारा यह कथन किया गया कि आवेदक अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है, तथा–कथित कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त के द्वारा किसी तरह का कोई मारपीट एवं रूपया नहीं लिया है। मामले में धारा–307 एवं 379 केस को भारी–भरकम बनाने हेतु लगाया गया है। मामले में जख्मी का जख्म भी साधारण प्रकृति का है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त का अग्रिम जमानत या नियमित जमानत आवेदन माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया और न ही लंबित है। अतः आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाय।

अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि  अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि सूचक सेन्टु पासवान के लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 01.03.2024 समय करीब 07:30 बजे संध्या में सूचक अपने खेत में मटर छीमी को तोड़ने से मना किये तो विपक्षी भूपेन्द्र पासवान, मन्नु पासवान (आवेदक अभियुक्त) एवं चुनिया देवी अपने–अपने हाथ में लिए लाठी एवं लोहे का रड लेकर आये और सूचक के माथा पर मार दिये। जिससे माथ फुट गया। अन्य जगह भी चोट लगी। सूचक के चचेरा भाई जयकुमार पासवान बचाने आये तो इनको भी उपरोक्त व्यक्तियों ने मारने लगा। गाली–गलौज कर सूचक के जेब से पांच सौ रूपया निकाल लिये। हल्ला पर अगल–बगल के लोग आये और बीच–बचाव किये। जख्मी को ईलाज हेतु मुरलीगंज अस्पताल लाया गया।

बिहार सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक के द्वारा उक्त जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति की गयी।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि सूचक के द्वारा आवेदक अभियुक्त एवं सह–अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धाराऐं–341, 323, 307, 379, 504, 506/34 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया। प्राथमिकी के अवलोकन से विदित होता है कि मामले में आवेदक अभियुक्त पर गाली–गलौज एवं मारपीट करने का अभियोग लगाया गया है। वाद दैनिकी के पारा–2 में वादी का पुनः बयान

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III मधेपुरा।

**A.B.P. No.-605/2026**

Murliganj Case No.-80/2024

**आदेश की तिथि 13 जुलाई, 2026**

अंकित है। वाद दैनिकी के पारा–7 में साक्षी जयकुमार पासवान, पारा–8 अम्भु पासवान, पारा–115 उचिम पासवान (स्वतंत्र साक्षी), पारा–116 देबू पासवान (स्वतंत्र साक्षी) एवं पारा–117 शिवनंदन पासवान (स्वतंत्र साक्षी) का बयान अंकित है। वाद दैनिकी के पारा–28 में जख्मी का जख्म प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है। चिकित्सक द्वारा जख्मी का जख्म साधारण प्रकृति का बताया गया है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं वाद की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त **अभिमन्नु कुमार उर्फ मन्नु कुमार** को गिरफ्तार/आत्म–समर्पण करने पर **मो0 10,000/–रुपये के बंध–पत्र के दो समान राशि के प्रतिभू** के साथ जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर एवं अधीनस्थ न्यायालय के संतुष्टि होने पर, जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है तथा आवेदक अभियुक्त इस आदेश के अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर न्यायालय में समर्पण करें तथा संबंधित न्यायालय धारा 482 बी.एन.एस.एस. के शर्तों के आलोक में इसे जमानत पर छोड़ने का आदेश करें।

लेखापित

ह0/–
(धीरेन्द्र कुमार राय)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
मधेपुरा।